UPBJ010099882023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारीः– (प्रशांत मित्तल), उच्चतर न्यायिक सेवा– UP6174

सत्र परीक्षण संख्याः 1996 सन् 2023

सरकार बनाम फरमान आदि
मुकदमा अपराध सं0–299/2023
धाराः–302/34,323/34,325/34,
504,506 भा0दं0सं0
थानाः–कोतवाली शहर बिजनौर,
जिला– बिजनौर।

एवं

सत्र परीक्षण संख्याः 659 सन् 2024

सरकार बनाम संजीदा उर्फ शमशीदा
मुकदमा अपराध सं0–299/2023
धाराः–302/34,323/34,325/34,
504,506 भा0दं0सं0
थानाः–कोतवाली शहर बिजनौर,
जिला– बिजनौर।

बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0

नामः संजीदा पति का नामः शब्बीर अहमद आयुः 50 वर्ष

पेशाः घरेलू कार्य निवासीः ग्राम मण्डावली सैदू थानाः कोतवाली शहर

जिलाः बिजनौर।

प्रश्न–01. अभियोजन के कथनानुसार आपके द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 14–04–2023 को समय करीब 02:30 बजे दिन वहद स्थान ग्राम मण्डावली सैदू, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर की सीमा में एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा अब्बास अहमद के पिता सगीर अहमद के सिर में ईंट से चोटें पहुंचाकर उनकी हत्या कारित की गयी, वादी मुकदमा अब्बास अहमद की माता हनीफा व बहन शाबरा को लाठी–डण्डों से मारपीट की गयी, जिससे हनीफा के फ्रैक्चर हो गया, वादी मुकदमा के परिवार वालों को गन्दी–गन्दी गालियां दी गयी एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर–गलत व झूँठ है।

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.06.09 15:24:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रश्न–02. साक्षी पी0डब्लू0–1 अब्बास अहमद, जो कि इस अभियोग का वादी मुकदमा है, ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 14–04–2023 को समय करीब 12:00 बजे जंगल में जाना, करीब 03:00 बजे सूचना मिलना कि अब्बा सगीर अहमद, मां हनीफा व बहन साबरा के ऊपर दीवार चिनते समय दीवार गिर जाना, जिससे तीनों घायल हो जाना, दिनांक 17–04–2023 को ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाना, कथित किया है तथा इस साक्षी ने थाने पर दी गयी तहरीर को **प्रदर्श क–1** एवं थाने पर दी गयी मृत्यु की सूचना को **प्रदर्श–2** के रूप में साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न–03. आपने अभियोजन साक्षीगण पी0डब्लू0–2 हनीफा, पी0डब्लू0–3 साबरा खातून, पी0डब्लू0–4 कय्यूम, पी0डब्लू0–5 मौ0 यामीन, पी0डब्लू0–6 रिजवाना खातून, पी0डब्लू0–7 मौ0 अली एवं पी0डब्लू0–8 मौ0 अफसर के बयान सुने, इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न–04. साक्षी पी0डब्लू0–9 डॉ0 राधेश्याम वर्मा ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 14–04–2023 को वरिष्ठ परामर्शदाता, संयुक्त जिला चिकित्सालय, बिजनौर में इमरजेन्सी में ड्यूटी पर तैनात होना और चुटैल सगीर अहमद, चुटैल हनीफा एवं चुटैल साबरा का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना कहा है। इस साक्षी द्वारा चुटैलों की मेडिकल परीक्षण प्रपत्र को **प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया है तथा चुटैल हनीफा की पूरक रिपोर्ट को **प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न–05. साक्षी पी0डब्लू0–10 डॉ0 बी0आर0 त्यागी (रेडियोलॉजिस्ट) ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 15–04–2023 को रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात होना और चुटैल हनीफा के दाहिने कन्धे का एक्स–रे करना एवं दाहिने कन्धे की स्केपुला हड्डी के स्पाईन में फ्रेक्चर पाया जाना कहा है। इस साक्षी द्वारा चुटैल हनीफा की एक्स–रे रिपोर्ट को **प्रदर्श क–7** एवं एक्स–रे प्लेट को **वस्तु प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न–06. साक्षी पी0डब्लू0–11 डॉ0 विकास चौधरी (चीफ फार्मासिस्ट पोस्टमार्टम हाउस, मेडिकल कॉलेज, मेरठ) ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 17–04–2023 को अपनी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस मेरठ में डॉ0 रणवीर सिंह चौधरी के साथ होना, मृतक सगीर के शव का पोस्टमार्टम डॉ0 रणवीर सिंह चौधरी के द्वारा किया जाना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉ0 रणवीर सिंह चौधरी द्वारा कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर से टाईप कराया जाना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण होना कहा है। इस साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डॉ0 रणवीर सिंह चौधरी के हस्ताक्षर में होना एवं उनके हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को **प्रदर्श क–8** तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मूल रजिस्टर की छायाप्रति को **प्रदर्श–9** के रूप में साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न–07. साक्षी पी0डब्लू0–12 हेड कां0 चेतन सिंह ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 14–04–2023 को थाना कोतवाली शहर, बिजनौर में हेड कांस्टेबिल के पद पर तैनात होना, उस दिन वादी अब्बास की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध सं0 299/2023 धारा 323, 308, 504, 506 भा0दं0सं0 सरकार बनाम फरमान आदि कायम कर तहरीर का शब्द–ब–शब्द बोलकर कम्प्यूटर ऑपरेटर शिवम आर्य से टाईप कराना तथा उसका इन्द्राज जी0डी0 में करना कथित करते हुए

चिक एफ0आई0आर0 को **प्रदर्श क–11** व जी0डी0 कायमी को **प्रदर्श क–12** के रूप में साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न–08. साक्षी पी0डब्लू0–13 डॉ0 देवेन्द्र कुमार ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 15–04–2023 को एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज में न्यूरो सर्जन के पद पर तैनात होना, उस दिन चुटैल सगीर अहमद को जिला चिकित्सालय बिजनौर से रैफर कर सरदार बल्लभ भाई पटेल अस्पताल, मेरठ भेजा जाना, मरीज की सी0टी0 स्केन रिपोर्ट में पैराईटल एवं टैम्पोरल बोन में फ्रैक्चर पाया जाना एवं इन्हीं चोटों के कारण चुटैल सगीर अहमद की दिनांक 17–04–2023 को समय 03:43 ए0एम0 पर मृत्यु हो जाना, मरीज की मृत्यु सिर में आयी चोटों के कारण होना एवं चोट गम्भीर प्रकृति की होना, कथित करते हुए, चुटैल सगीर की पूरक रिपोर्ट को **प्रदर्श क–13** के रूप में साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न–09. साक्षी पी0डब्लू0–14 एस0एस0आई0 बिजेन्द्र सिंह ने अपनी साक्ष्य में दिनाँक 17–04–2023 को थाना मेडिकल कॉलेज, जनपद मेरठ में उप–निरीक्षक के पद पर तैनात होना, चिकित्सालय के वार्डबॉय मन्नु की सूचना पर मय फोर्स को साथ लेकर पंचायतनामा से सम्बन्धित दीगर कागजात लेकर जी0डी0 में दिनांक 17–04–2023 को रपट सं0–13 समय 04:55 बजे मेडिकल अस्पताल मेरठ में मोर्चरी पर जाना, मृतक के रिश्तेदार व परिवार के लोगों में से पंच नियुक्त कर पंचायतनामे की कार्यवाही किया जाना, कथित करते हुए, अन्य पुलिस प्रपत्रों को तैयार करना कहा है। इस साक्षी ने पंचायतनामा को **प्रदर्श क–14** के रूप में साबित किया है तथा उससे संबंधित अन्य पुलिस प्रपत्रों को **प्रदर्श क–15** ता **प्रदर्श क–20** के रूप में साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न–10. पी0डब्लू0–15 उप–निरीक्षक ज्योति तोमर ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 14–04–2023 को थाना कोतवाली शहर, बिजनौर में उप–निरीक्षक के पद पर नियुक्त होना, उस दिन मुकदमा अपराध सं0 299/2023 धारा 323, 308, 504, 506 भा0दं0सं0 की विवेचना ग्रहण कर नकल चिक, नकल रपट, अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट पीड़ित सगीर अहमद, पीड़ित हनीफा व पीड़िता साबरा सी0डी0 में अंकित करना, उसी दिन वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार करना, कथित करते हुए नक्शा नजरी को **प्रदर्श क–21** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने बयान पोस्टमार्टमकर्ता, बयान चिकित्सक व बयान वादी के आधार पर सगीर के झगड़े में आयी चोटों के कारण ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर धारा 308 भा0दं0सं0 का विलोप किया जाना एवं उसके स्थान पर धारा 302 की बढ़ौत्तरी किया जाना कथित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न–11. पी0डब्लू0–16 निरीक्षक जीत सिंह ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 17–04–2023 को थाना कोतवाली शहर, बिजनौर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात होना, उस दिन मुकदमा अपराध सं0 299/2023 धारा 323, 308, 504, 506 भा0दं0सं0 की विवेचना ग्रहण कर पूर्व विवेचना का अवलोकन कर केस डायरी में अंकित करना, चुटैल हनीफा की एक्स–रे रिपोर्ट, डा0 राधेश्याम वर्मा का बयान व मजरूबा हनीफा की पूरक रिपोर्ट का अवलोकन कर संलग्न सी0डी0 किया जाना एवं फ्रैक्चर के आधार पर धारा 325 भा0दं0सं0 की बढ़ौत्तरी किया जाना, दिनांक 13–07–2023 को बयान वादी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, सप्लीमेन्टरी रिपोर्ट, चश्मदीद गवाहान एवं अन्य गवाहान के आधार पर

अभियुक्तगण फरमान व समीर के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 302/34, 325 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र सं0 431/2023 दिनांक 13–07–2023 को न्यायालय में प्रेषित करना कहा है। इस साक्षी ने आरोप पत्र को **प्रदर्श क–22** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने एस0एच0ओ0 राजीव चौधरी को लिखते–पढ़ते व हस्ताक्षर करते देखना व उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानना कथित करते हुए, उनके द्वारा अभियुक्त संजीदा के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 325, 302/34 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र सं0 431ए/2023 न्यायालय में प्रेषित किया जाना कहा है तथा अभियुक्त संजीदा के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र को **प्रदर्श क–23** के रूप में साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है। झूँठा आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

प्रश्न–12. साक्षी पी0डब्लू0–17 मौहम्मद यूनुस, ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 14–04–2023 को समय दो/ढाई बजे के आसपास गली में शोर सुनना, शोर पर घटनास्थल पर पहुंचने पर फरमान, सगीर व संजीदा ने अपने हाथ में लिये ईंटों से सगीर के सिर पर वार करते हुए देखना, सगीर पत्नी हनीफा व लड़की साबरा के साथ भी ईंटों व डण्डों से वार करना, कथित करते हुए घटना में सगीर, हनीफा व साबरा घायल होना, उन्हें ईलाज के लिये बिजनौर अस्पताल में भर्ती करना एवं दिनांक 17–04–2023 को चुटैल सगीर की ईलाज के दौरान मेरठ मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो जाना कहा है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न–13. क्या आपको सफाई साक्ष्य देनी है?
उत्तर–जी नहीं।

प्रश्न–14. आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला?
उत्तर–गॉव की रंजिश के कारण झूँठा चला।

प्रश्न–15. क्या कुछ और कहना है?
उत्तर–मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ।

सुनकर तस्दीक किया।

यह कथन अभियुक्त की श्रवणगोचरता में मेरे द्वारा लिखा गया, इसमें अभियुक्त द्वारा कही गई बातों का पूर्ण एवं सही विवरण अंकित है।

(प्रशांत मित्तल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
बिजनौर।
09–06–2026